वर्ष 4, अंक 88 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

जनवरी 2007 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

ऐसे समय जब हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचारों और घरेलू हिंसा के समाचारों का तांता लगा है, पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के चांदीपुर ग्राम की एक 60 वर्षीय महिला ने साहस और संकल्प की एक नयी मिसाल पेश की है। उसकी जवान बहू के पति की मृत्यु विवाह के दो मास बाद ही एक तूफान में हो गयी और उस महिला ने अपनी बहू का पुनर्विवाह करने के लिए समाज की मानसिकता के विरुद्ध दो वर्ष लम्बी लड़ाई लड़ी। अंत में, पहाड़ेश्वर मंदिर में सैकड़ों लोगों के सामने उस युवती का फिर से विवाह हो गया।

उस युवती का पुनः विवाह करने की प्रेरणा महिला को कदाचित यह बात महसूस करने के बाद मिली होगी कि समाज का रवैया उस युवा विधवा के प्रति कितना निर्दय होगा। इसीलिए, सास ने समाज में उसका पुनर्वास करने के लिए सभी प्रतिरोधों और बाधाओं का सामना किया।

परन्तु उसकी पहली चुनौती अपनी बहू को, जो आत्महत्या तक करने की सोच रही थी, पुनः विवाह के लिए राज़ी करना था और फिर एक प्रतिकूल मानसिकता वाले समाज से निबटना था जिसने उस लड़की के लिए एक दूल्हे का प्रबन्ध करने के उसके प्रयासों में बाधाएं डालीं।

फिर भी, अंततः उसकी सफलता दर्शाती है कि महिलाओं के दुःख-दर्दों के लिए उत्तरदायी

चर्चा में **अकेली महिला का अभियान**

सामाजिक भेदभावों और दबावों के विकल्पों के प्रति ग्रामीण भारत के भागों में जागरुकता आ रही है।

लगभग 150 वर्ष पूर्व, राजा राममोहन राय और पंडित विद्यासागर जैसे महान समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह और उसकी कानूनी मान्यता का अभियान निस्सहाय विधवाओं पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए चलाया था। फिर भी सती जैसा अभिशाप चलता रहा, जबकि दुल्हन जलाने, कन्या भ्रूण-हत्या, घरेलू हिंसा ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया।

ऐसी परिस्थितियों में, दूर गांव की एक साधारण महिला के प्रयास, युवा लड़की को एक नया जीवन देने के प्रति न केवल एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उदय अपितु सभी सामाजिक अवरोधों के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी दर्शाते हैं।

सामाजिक सुधार लाने में इस प्रकार के वृत्तांत निश्चय ही सरकारी प्रचार अथवा डाक्यूमेंटरी फिल्मों की तुलना में अधिक प्रभावकारी हैं। सफलताओं के ऐसे वृत्तांतों का प्रभाव इसलिए अधिक होगा कि ये अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, विशेषकर विधवाओं तक जो एक बेहतर जीवन बिताने की आशा कर सकती हैं। समाज सुधारों में खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपयों की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के उदाहरणों के परिणाम अधिक अच्छे होंगे।

इसलिए ऐसे अकेले अभियान चलाने वाले व्यक्तियों के कृत्यों को उजागर करने की आवश्यकता है जिनसे अनेक अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

आयोग के मार्गनिदेशों के अंतर्गत पुलिस कॉल सेंटरों के साथ सहयोग करेगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि कॉल सेंटरों में रात-बिरात काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गनिर्देशन में कॉल सेंटरों के मालिकों के साथ सहयोग स्थापित करे। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को हर पुलिस थाने पर एक परिपत्र भेजने का आदेश भी दिया है।

अभी तक, दिल्ली पुलिस ने विशेष महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की है जिनकी एक सूची सभी पुलिस थानों पर लगाई गयी है। कॉल सेंटरों के कार्याध्यक्षों के साथ जुलाई 2006 में पुलिस के साथ हुई गत बैठक में दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया कि किसी भी समय किसी भी महिला को गाड़ी में अकेले न तो कॉल सेंटर से अपने घर भिजवाया जाये और न ही घर से कॉल सेंटर लाया जाये। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि कॉल सेंटर/बी.पी.ओ. का कम से कम एक सुरक्षाकर्मी कंपनी की गाड़ी में जाये। कॉल सेंटरों के मुख्याध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि कार-अपहरण रोकने के प्रयोजन से ड्राइवर कोई शार्टकट (नजदीकी रास्ता) न लें और कॉल सेंटरों के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को गाड़ी में न बिठाएं।

कॉल सेंटरों द्वारा भाड़े पर ली गयी अधिकतर गाड़ियों में वाकी-टाकी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस ने कॉल सेंटरों से यह आश्वस्त करने को कहा है कि ये वाकी-टाकी सेट ठीक प्रकार से कार्य करें और ड्राइवर अपनी सही-सही स्थिति बी.पी.ओ. कंट्रोल रूप को सूचित करें।

वेश्याओं पर आयोग की कार्यशाला

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'बच्चों एवं महिलाओं के विशिष्ट संदर्भ में अनैतिक मानव व्यापार की रोकथाम और निवारण के लिए समेकित कार्य योजना' पर हैदराबाद में एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में बड़े चौकन्ना कर देने वाले आंकड़े सामने आये। देश के कुल सेक्स कर्मियों की 35 प्रतिशत संख्या आंध्र प्रदेश से है। कार्यशाला का उद्देश्य सेक्स कर्मियों को छुड़ाने के हल तथा सुझाव प्रस्तुत करना है और राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुनर्वास का प्रयत्न करेगा।

वर्ष 2005 में, हैदराबाद में अनैतिक व्यापार के 35 मामले हुए जिनकी संख्या 2006 में बढ़कर 58 हो गयी।

सूचना के अनुसार, नालगौंडा, पूर्वी गोदावरी तथा विजयवाड़ा में देह व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। तेलंगाना में लंबाडा समुदाय की 35 से 40 प्रतिशत महिलाएं राज्य में सेक्स कर्मी हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री रेणुका चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार महिला एवं बाल कदाचार पर साथ-साथ कानून बनाने का विचार कर रही है, किन्तु सबसे बड़ी कमी है कानूनों का क्रियान्वयन न किया जाना।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में महिलाओं को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता और पुनर्वास कार्य तक में उनके साथ भेदभाव होता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यचर्या को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह पुलिस में भर्ती होने वालों को महिलाओं के प्रति संवेदित कर सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने अपने सम्बोधन में कहा कि 'यद्यपि अनैतिक मानव व्यापार को रोकने संबंधी कानून मौजूद हैं, किन्तु उनका पालन नहीं होता। अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम में भी, छुड़ाई गयी महिलाओं के पुनर्वास का प्रावधान नहीं है। इसलिए, इस समय बनाई जा रही कार्य योजना में मुख्यतः इस मुद्दे पर जोर होगा।'

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के प्रारम्भ में जब कोलकता में उन्होंने 17,000 सेक्स कर्मियों की कार्यशाला को संबोधित किया था तो उन सभी ने पुनर्वास की इच्छा जाहिर की थी। यही इच्छा उन 5,000 देवदासियों की थी जो नई दिल्ली में उनसे मिलीं थीं।

डॉ. व्यास ने कहा, 'उनके किसी काम में लगने तक हम उनकी रिहाइश का प्रबंध करेंगे और उन्हें कुछ पैसा भी देंगे। मुख्य विचार यह है कि इन शोषित सेक्स कर्मियों के बच्चों को मुख्य धारा में स्वीकार कर लिया जाये और उनके साथ भेदभाव न हो।'

सिफारिश में उन जिलों की पहचान करने तथा उन पर ध्यान केन्द्रित करने की बात भी कही जायेगी जोकि अधिक महिला-शोषण प्राय हैं।

कार्यशाला में सुश्री रेणुका चौधरी आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास से कुछ विचार व्यक्त करते हुए।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या नीवा कंवर ने सोनीपत में आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा आयोजित कन्या भ्रूणहत्या जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में, इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूणहत्या ने एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया है और यह दुष्कर्म करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आयोग में पहुंच कर सकती हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा सुश्री रजनी पाटिल ने कार्यशाला में भाग लिया।
- सदस्या निर्मला वेंकटेश ने चेन्नई में तमिलनाडु बैंक कर्मचारी फैडरेशन के सम्मेलन के भाग के रूप में आयोजित महिला कन्वेंशन में भाग लिया। वह विशाखापटनम भी गयीं और अवादीवरम के सेंट्रल जेल की महिला बंदियों से बातचीत की।

जागरुकता शिविर में सुश्री नीवा कंवर (बीच में) सुश्री रेणु नागर और सुश्री रजनी पाटिल के साथ।

सेंट्रल जेल में सुश्री निर्मला वेंकटेश।

महिलाओं की सुरक्षा आश्वस्त करने के लिए कानून

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कानपुर में मर्चेंट्स चेम्बर हॉल में उत्कर्ष अकादमी के 15वें सम्मेलन को संबोधित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बलात्कर पर एक नया कानून और अनुसमर्थन के 21 कानून संसद में लाने पर सक्रिय विचार कर रही है ताकि समाज में महिलाओं की सुरक्षा आवश्वस्त की जा सके। इस बारे में आयोग ने कई राज्यों को सिफारिशें भेजी हैं, किन्तु कुछ ही राज्यों ने इन कानूनों को लागू किया है जबकि अन्य राज्य उदासीन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महान नेताओं द्वारा दिखाए गये मार्ग का अनुसरण करके युवा पीढ़ी राष्ट्रीय निर्माण में एक अहम भाग अदा कर सकती है।

डॉ. व्यास ने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में उत्तर प्रदेश का नम्बर महाराष्ट्र के बाद दूसरा है और महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों का अंत होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनेताओं की कठपुतली बन कर नौकरशाह समाज में एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। सिविल सेवाओं की आकांक्षा रखने वाले युवाओं से उन्होंने अपील की कि वे मानव भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा राष्ट्र के उत्थान में एक उत्तरदायी भूमिका निभायें।

डॉ. व्यास ने कहा कि एक समय कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, किन्तु आज उसका वह गौरव समाप्त हो चुका है।

नौकरशाहों को ढालने और मानव मूल्यों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने उत्कर्ष अकादमी की प्रशंसा की।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास को उत्कर्ष अकादमी के निदेशक डॉ. प्रदीप दीक्षित द्वारा अभिनन्दन

शिकायत कक्ष से

- आयोग को सुश्री चन्द्रिका से उनके पति तथा सास-ससुर द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। सुश्री चन्द्रिका एम.बी.ए. हैं, चार वर्ष से विवाहित हैं और हांगकांग में कार्यरत हैं। उनके पति हांगकांग आधारित एक वित्त कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार हैं। सुश्री चन्द्रिका की शिकायत दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के बारे में थी। चूंकि किसी समझौते की गुंजाइश नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने नानकपुरा महिला कक्ष में शिकायत दर्ज कराई, किन्तु वहां की प्रक्रिया से असंतुष्ट होने के कारण वह चाहती थीं कि धारा 406/498क के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।

  इससे पूर्व, उन्होंने हांगकांग की स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, किंतु पुलिस ने कहा कि मामला भारतीय नागरिकों से संबंधित है इसलिए वह कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। इसके बाद सुश्री चन्द्रिका नानकपुरा की महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष में गयीं ताकि उनके पति और सास-ससुर के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो सके। किंतु यह महिला कक्ष एफ.आई.आर. दर्ज करने में अनिच्छा दिखा रहा था और मामले में अनावश्यक विलम्ब कर रहा था। आयोग के कॉरडीनेटर भवन कुमार ने महिला कक्ष से संपर्क किया और एफ.आई.आर. दर्ज करने पर जोर दिया। धारा 498क और 406 के अंतर्गत उसी दिन मामला दर्ज हो गया। अब यह मामला न्यायालय में भेजा जा रहा है।

- आयोग को उत्तर प्रदेश के धनकौर जिले की एक लड़की के दादा की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि उनकी 16 वर्षीय पोती मोनिका को विवाह के नाम पर उनके लड़के द्वारा एक शराबी, अ-सामाजिक व्यक्ति को बेचा जा रहा था जिसकी आयु 40 वर्ष थी।

  लड़की के दादा ने दिसम्बर, 2006 में आयोग से उस समय गुहार की जब स्थानीय पुलिस और डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट ने उनके लड़के के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया।

  आयोग ने धनकौर के एस.एस.पी. से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और तुरंत कार्यवाही करने का आग्रह किया। आयोग के हस्तक्षेप पर स्थानीय पुलिस ने धारा 363 तथा बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की। तत्पश्चात्, मोनिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया।

- आयोग को हौज़ खास से एक आपदा संदेश प्राप्त हुआ कि एक लड़की को उसके पति ने बुरी तरह पीटा है और घर में ताले में बंद कर दिया है। लड़की सहायता की गुहार कर रही थी और कोलकता में अपने मां-बाप के पास जाना चाहती थी। आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में सम्पर्क किया। पुलिस ने दो सिपाहियों को भेजा जिन्होंने लड़की को बाहर निकाला और उसके माता-पिता के आने तक उसकी संरक्षा की। इसी बीच उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लड़की को अपनी दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ कोलकता भेज दिया गया। आरोपी निर्मल को जेल से रिहा होने के बाद आयोग में बुलाया गया। उसने विगत में अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में परिवार में शांति बनाए रखने का वायदा किया। उसके आश्वासन के बाद, पश्चिम बंगाल में उसकी पत्नी से सम्पर्क किया गया जिसने दिल्ली में अपने परिवार में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।

अक्टूबर से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान आयोग के शिकायत व जांच कक्ष को 3,054 शिकायतें प्राप्त हुईं। ये शिकायतें विभिन्न प्रकार के मामलों की थीं जैसे दहेज, दहेज मृत्यु, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पुलिस की कोताही आदि।

उप सचिव का प्रीटोरिया का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग की उप सचिव सुश्री गुरप्रीत देव को 'ट्रुप एण्ड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़' द्वारा प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में 7 से 9 फरवरी, 2007 को आयोजित की जाने वाली महिला क्षेत्र की रणनीति कार्यशाला में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया है।

सुश्री गुरप्रीत 'महिला क्षेत्रों, रक्षा तथा बचाव संघटकों के बीच भागीदारी निर्माण पर सुचारू प्रथाएं' विषय पर बोलेंगी।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन